राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-1713 / 2011 / श्रीगंगानगर

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर, बनाम मै0 जी.डी. ट्रेडिंग कम्पनी, न्यू धान मण्डी, श्रीगंगानगर

...अपीलार्थी

...प्रत्यर्थी

<u>एकलपीठ</u> श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा अभिभाषक श्री वी.के.पारीक उप राजकीय अभिभाषक

...अपीलार्थी की ओर से

...प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 07.02.2018

निर्णय

अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 264 / आरवैट / श्रीगंगानगर /09-10 में पारित आदेश दिनांक 20.01.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा वर्ष 2006-07 हेतु पारित आदेश दिनांक 11.12.2008 अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम 2003" कहा जायेगा) की धारा 24, 25 सपिटत 61, 55 के तहत कायम की गई मांग राशि को विवादित करने पर अपील स्वीकार करते हुये कर आई.टी.सी. रू 85,525 / -, ब्याज राशि रू. 35,115 / — तथा शास्ति राशि रू 2,96,692 / — अपास्त किया जिससे व्यथित होकर विभाग द्वारा आई.टी.सी., ब्याज व शास्ति के बिन्दु पर अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा मैसर्स मनीष एन्टरप्राइजेज, हनुमानगढ व मैसर्स सुशील ट्रेडिंग कम्पनी से क्रय किये गये माल पर अदा किये गये कर के पेटे क्रमशः रूपये 74,173/- व रूपये 11,352/- का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करके देय कर के पेटे समायोजन चाहा। कर निर्धारण अधिकारी, वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर ने अपने कर निर्धारण आदेश दिनांक 11.12.2008 द्वारा उक्त दोनों फर्मो द्वारा Output Tax जमा नहीं कराये जाने के कारण उक्त दोनों फर्मी से क्रय किये गये माल पर अदा किये गये कर के पेटे ITC का समायोजन नहीं दिया व आई.टी.सी. रू 85,525 / -, ब्याज राशि रू. 35,115 / - तथा शास्ति राशि रू 2,96,692 / -आरोपित किया। कर निर्धारण अधिकारी के उपरोक्त आदेश के विरूद्ध प्रथम अपीलीय अधिकारी उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकानेर के समक्ष प्रथम अपील व्यवहारी द्वारा

लगातार.....2

प्रस्तुत की गई जो प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय दिनांक 20.01.2011 द्वारा स्वीकार की गई जिसके विरूद्ध यह द्वितीय अपील राजस्थान वैट अधिनियम 2003 की धारा 83 के अन्तर्गत कर बोर्ड में विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई है।

- उभयपक्षों की बहस सुनी गई।
- 4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि उनके द्वारा की गई खरीद वास्तविक थी तथा उसके संबंध में व्यवसायी द्वारा समस्त दस्तावेज विभाग में प्रस्तुत कर दिये गये थे। उक्त फर्म द्वारा कर की अदायगी न किये जाने में अपीलार्थी का कोई दोष नहीं है, अतः मात्र इस आधार पर अपीलार्थी द्वारा चुकाये गये कर का आगत कर समायोजन अस्वीकृत किया जाना विधिसम्मत एवम् प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं है। उक्त क्रय से संबंधित दस्तावेज पूर्व में ही निर्धारण अधिकारी के समक्ष पेश कर दिये गये। साथ ही उन्होंने निवेदन किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रोत्साहन योजनाओं से संबंधित विभिन्न प्रकरणों में यह निर्णित किया है कि प्रोत्साहन का लाभ पूर्ववर्ती दिनांक से वापस नहीं लिया जा सकता। तदनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट भी पूर्ववर्ती दिनांक से रिवर्स नहीं किया जा सकता। अतः उन्होंने प्रस्तुत अपील को स्वीकारते हुए अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया।
- 5. विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने निवेदन किया कि अधिनियम की धारा 18(2) के अनुसार व्यवहारी को ITC क्लेम नहीं दिया जा सकता है क्योंकि व्यवहारी द्वारा जिस फर्म से माल क्रय किया गया है, उसके द्वारा कर जमा नहीं कराया गया है जो कि धारा 18(2) की विधिक बाध्यता है। अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत इस अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।
- 6. उभयपक्ष की बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार हैं :--
- 7. अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा मैसर्स मनीष एन्टरप्राइजेज, हनुमानगढ व मैसर्स सुशील ट्रेडिंग कम्पनी गजिसहपुर से क्रय किये गये माल पर अदा किये गये कर के पेटे क्रमशः रूपये 74,173/— व रूपये 11,352/— का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करके देय कर के पेटे समायोजित चाहा। कर निर्धारण अधिकारी, वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर ने अपने कर निर्धारण आदेश दिनांक 11.12.2008 द्वारा उक्त दोनों फर्मों द्वारा Output Tax जमा नहीं कराये जाने के कारण उक्त दोनों फर्मों से क्रय किये गये माल पर अदा किये गये कर के पेटे ITC का समायोजन नहीं दिया व व आई.टी.सी. रू 85,525/—, ब्याज राशि रू. 35,115/— तथा शास्ति राशि रू 2,96,692/— आरोपित किया।
- 8. आलौच्य अवधियों में जिन तथाकथित विक्रेता व्यवहारियों से क्रय किये गये माल की राशि पर देय वेट का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया गया है, वह कर इन विक्रेता

लगातार......3

व्यवहारियों द्वारा जमा नहीं करवाया गया है। वेट अधिनियम की धारा 18(2) के तहत आई. टी.सी. का क्लेम तभी स्वीकृत किया जा सकता है, जबिक इस पेटे देय कर राजकोष में जमा हो चुका हो एवं यह प्रमाणित करने का दायित्व व्यवहारी का है कि देय कर राजकोष में जमा हो चुका है। प्रत्यर्थी व्यवहारी खरीदे गये माल पर कर चुकाये जाने के सबूत के भार का निर्वहन करने में असफल रहा है।

- 9. हस्तगत प्रकरण में विवाद का बिन्दु यह है कि क्या किसी क्रेता व्यवहारी की खरीद पर क्लेम की गई आई.टी.सी. के दावे को विक्रेता व्यवहारी द्वारा बिक्री पर कर जमा नहीं कराये जाने तथा बिक्री संव्यवहार वास्तविक (Genuine) नहीं होने की स्थिति में स्वीकार किया जाने योग्य है अथवा अस्वीकार किये जाने योग्य है ?
- 10. आई.टी.सी. क्लेम के संबंध में धारा 10 जो निम्न प्रकार है :--

धारा 10. Burden of proof. -

The burden of proving that any sale or purchase effected by any person is not liable to tax for any reason under this Act or to prove for entitlement of input tax credit on any purchases, shall be on such person.

के विधिक प्रावधान से यह स्पष्ट है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने के लिए क्रय-विक्रय को प्रमाणित करने का दायित्व संबंधित पक्षकार का है।

11. Input Tax Credit क्लेम करने के संबंध में अधिनियम की धारा 18 (2),(3) निम्न प्रकार है :-

18. Input Tax Credit. -

- (1).....
- (2) The claim of input tax credit shall be allowed on the tax deposited on the basis of original VAT invoice within three months from the date of issuance of such invoice. However, claim of input tax credit of the additional tax deposited may be allowed on the basis of VAT invoice which has been issued subsequently in compliance with the decision of any competent court or authority, showing the tax at higher rate. If the first original VAT invoice is lost, input tax credit may be allowed on the basis of a duplicate copy thereof, subject to such conditions as may be prescribed. (This amended of 18(2) section in substituted has provision Act vide The Rajasthan Value Added Tax (Amendment Bill 2009) Bill no. 8 of 2009 which has given retrospective effect from 01-04-06)
- (3) Notwithstanding anything contained in this Act, no input tax credit shall be allowed on the purchases –
- (i) from a registered dealer who is liable to pay tax under sub-section (2) of section 3 or who has opted to pay tax under section 5 of this Act; or

(ii)	of goods made in	the course of imp	ort from	outside the	State; or
------	------------------	-------------------	----------	-------------	-----------



लगातार.....4

- (iii) where the original VAT invoice or duplicate copy thereof is not available with the claimant, or there is evidence that the same has not been issued by the selling registered dealer from whom the goods are purported to have been purchased; or
 - (iv) of goods where invoice does not show the amount of tax separately; or
- (v) where the purchasing dealer fails to prove the genuineness of the purchase transaction, on being asked to do so by an officer not below the rank of Assistant Commercial Taxes Officer authorised by the Commissioner.
- 12. उक्त धाराओं के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि व्यवहारी को आई.टी.सी. क्लेम तभी स्वीकृत किया जा सकता है, जबकि इस पेटे देय कर राजकोष में जमा हो चुका हो। इस प्रकरण में देय कर राजकोष में जमा होना प्रमाणित नहीं होता है। अतः व्यवहारी धारा 18(2) व (3) के तहत आई.टी.सी. क्लेम का अधिकारी नहीं रहता है।
- 13. इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने का अधिकार निहित अधिकार या अलोच्य अधिकार नहीं है, लेकिन अधिनियम के अधीन एक प्रदत्त लाभ है जो विशेष संभाव्यता या विशेष शर्तों के अधीन प्रदत्त किया जाता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे का अधिकार पंजीकृत व्यवहारियों को निरपेक्ष प्रदत्त व अलोप्य अधिकार के रूप में नहीं माना जा सकता है।
- 14. यह (इनपुट टैक्स क्रेडिट) वास्तव में एक लाभ या अनुग्रह है। इनपुट टैक्स क्रेडिट के रियायती प्रावधानों का अर्थ बहुत कठोरता से लगाया जाना चाहिये। विधि का सुस्थापित नियम है कि कोई व्यक्ति जो मुक्ति या रियायती दर का दावा करता है, के द्वारा आज्ञापक विधिक अपेक्षायें यथावत पूर्ति की जानी चाहिये। इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ का प्रयोग करने की रियायती अन्ततोगत्वा उपभोक्ता पर Cascading effect of tax burden में कमी के लिये दिया गया है। मूल्य परिवर्धित कर ढांचे का उद्देश्य प्रक्रिया का सरलीकरण करके तथा अधिक पारदर्शी व्यवस्था करते हुए राजस्व में वृद्धि करने का रहा है।

15.

16. माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त (2014) 76 वी.एस.टी. 451 (गुजरात) मैसर्स श्रीजी इम्पेक्स बनाम स्टेट ऑफ गुजरात व अन्य में आई.टी.सी. के सम्बन्ध में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :-

"The claim of input-tax credit on the alleged purchase made by the appellant-dealer from vendors was rejected by the assessing authority considering the fact that the registration of the vendors from whom the appellant claimed to have purchased the goods was cancelled. The assessing officer held that that the appellant failed to prove the actual movement of the goods from the vendors to the appellant. Appeal filed before the first appellate authority was dismissed and the Tribunal dismissed the appeal filed

y

before it confirming the orders passed by both the authorities below denying the inputtax credit. On further appeal:

Held, dismissing the appeal, that input-tax credit was not denied solely on the ground that the registrastion of the vendors was cancelled. The appellant relied upon the invoices/bills and its books of profit and loss in support of the claim that it actually purchased the goods from L and three other vendors. Not a single document and/or material was placed on record to show the actual movement of the goods from the vendors to the appellant. The appellant miserably failed to prove the actual transaction by leading the cogent evidence and miserably failed to prove that purchases on which input-tax credit was claimed, were genuine and/or on which the tax was paid. There were concurrent findings of fact given by all the authorities below that the alleged transactions were not genuine and it was only billing activities for the purpose of claiming input-tax credit, etc. The aforesaid findings of facts by all the authorities below were on appreciation of evidence and the material on record which were neither perverse nor contrary to the evidence on record. Therefore no error had been committed by any of the authorities below denying the input-tax credit."

- 17. इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टान्तों में व्यवस्था दी गयी है कि –
- (1) [2014] 73 VST 489 (Guj) Karnavati Ispat Pvt. Ltd. vs. State of Gujarat and Another

VALUE ADDED TAX-INPUT-TAX CREDIT-DENIAL ON GROUND OF CAN-CELLATION OF REGISTRATION OF SELLING DEALER AB INTIO-SELLING DEALER FOUND NOT TO BE CARRYING ON GENUINE PURHASE AND SALE BUT ONLY DOING BILLING-DENIAL OF INPUT-TAX CREDIT JUSTIFIED-GUJARAT VALUE ADDED TAX ACT, 2003.

The assessing officer denied the input-tax credit claimed by the appellant-dealer on the goods purchased on the ground that the registration of the selling dealer was cancelled ab initio because it was only billing and did not carry out any genuine transactions of sale and purchase. The order denying input-tax credit and levy of interest thereon was confirmed by the Tribunal while remanding the matter to the assessing officer in respect of the levy of penalty at the highest limit. On appeal:

Held, dismissing the appeal, that the order of the Tribunal was justified.

(5)[2014] 72 VST 318 (Guj) Madhav Steel Corporation vs. State of Gujarat

(ii) That the dealer had failed to satisfy the court as to the genuineness of the sale transactions or purchases made from B and M by leading evidence or prove on the basis of the documents on record that there was movement of goods. Even the vendors B and M had also failed to prove their purchases and no goods were available with them which could have been sold to the dealers and in fact there was no physical movement of the goods. The onus to prove the genuineness of the purchase was on the dealer. The onus to prove the genuineness of the vendor from whom the dealer made purchases was also on the dealer. The assessing officer and the Tribunal had rightly rejected the claim to input-tax credit claimed under section 11 of the Act.



लगातार......6

18. उक्त प्रकरण में माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ अपील संख्या 869/2008/श्रीगंगानगर वा.क.अ., श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स सतीश गोयल एण्ड संस, श्रीगंगानगर निर्णय दिनांक 17.05.2012 में स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 18(3)(v) में यह व्यवस्था की गई है कि क्रेता व्यवसायी का यह कर्तव्य है कि वह अपने खरीद संबंधी संव्यवहार की प्रमाणिकता, सत्यता सिद्ध करें। परन्तु इस प्रकरण में केवल कमीशन देकर बिल प्राप्त किये गये है और माल का वास्तविक आदान—प्रदान नहीं किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त तथ्य की जांच करने के पश्चात सिद्ध किया गया है कि आई.टी.सी. का गलत लाभ लेने के लिये सुनियोजित तरीके से केवल बिल प्राप्त किये गये है एवं उसे सही साबित करने के लिये बैंक के माध्यम से भुगतान दर्शाया गया है। वस्तुतः माल की वास्तविक खरीद एवं बिक्री नहीं की गई तथा विक्रेता मालिक से जांच करने पर उसके शपथपूर्वक बयान दिये कि उसके द्वारा माल विक्रय नहीं किया गया बल्कि बिल राशि का आधार प्रतिशत कमीशन लेकर वैट इनवाइस जारी किया गया है। इसी प्रकार वेट अधिनियम की धारा 18(3)(v) के प्रावधनों के अनुसार क्रेता व्यवहारी द्वारा खरीद संव्यवहार सही प्रमाणित करने की स्थिति में ही आई.टी.सी. प्राप्त करने का हकदार है।

उक्त प्रावधान के अनुसार भी किसी खरीद पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की पात्रता साबित करने का भार क्रेता व्यवहारी पर ही है, जो इन प्रकरणों में पूरा नहीं किया गया है। अतएव व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष आलोच्य अवधि की विवादित खरीद के संव्यवहार सही होना प्रमाणित करने में असफल रहने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रार्थीगण को उक्त खरीद पर वेट अधिनियम की धारा 18(3)(v) के तहत इनुपट टैक्स क्रेडिट का लाभ अस्वीकार किया जाकर कर एवं ब्याज का आरोपण किया जाना पूर्णतः विधिसम्मत है।

- 19. जहां तक धारा 61(2)(a) के तहत आरोपित शास्ति का प्रश्न है इसे अपीलीय अधिकारी ने अपास्त किया है यहां यह उल्लेखनीय है कि व्यवसायी ने खरीद के सभी संव्यवहार अपनी नियमित बहीयात में दर्ज कर रखे थे, अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम स्टेट आफ तमिलनाडू व अन्य (2009) 23 वीएसटी 249 के आलोक में शास्ति आरोपणीय नहीं है। अतः शास्ति के संबंध में अपीलीय अधिकारी के आदेश यथावत रखा जाता है। शास्ति के बिन्दु पर राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती हैं।
- 20. उपरोक्त समस्त तथ्यात्मक एवं विधिक विवेचना के पश्चात यह निष्कर्षित किया जाता है कि विक्रेता ने कर जमा नहीं कराया है। अतः प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आई.टी.सी. का दावा स्वीकार करने योग्य नहीं है। कर निर्धारण अधिकारी ने इनपुट टैक्स क्रेडिट का समायोजन नहीं दिया है क्योंकि विक्रेता व्यवहारियों द्वारा आगत कर जमा नहीं करवाया है जो कि अधिनियम की धारा 18(3) की विधिक बाध्यता है तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी ने अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.01.2011 द्वारा कर निर्धारण अधिकारी का आदेश अपास्त करते हुए व्यवहारी की अपील स्वीकार की है जो विधिसम्मत नहीं है। और प्रकरण के तथ्यों के आलोक में अपीलीय अधिकारी का कर व ब्याज के बिन्दु पर आदेश निरस्त किया जाता है। कर निर्धारण अधिकारी का आदेश कर व ब्याज के बिन्दु पर बहाल (Restore) किया जाता है।
- 20. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर यह कर व ब्याज के बिन्दु पर राजस्व की अपील स्वीकार की जाती है।
- 21. निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय) सदस्य